शाला दर्पण पर एम्प्लोयी आई०डी० संशोधित अथवा Delete/ कार्मिक नाम करवाने पर संस्था प्रधान की ओर से दिए जाने वाला-पत्र

SD ID: IFMS ID:

विद्यालय का नाम एवं स्थान :-.....

ब्लॉक:-..... जिला :-.....U-dise कोड:-

संस्था प्रधान का मोबाइल नो.(अनिवार्यत:).....

क्रमांक..... दिनांक...../...../.....

उपनिदेशक
राज्य शालादर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर

विषय :- शाला दर्पण पर एम्प्लोयी आई०डी०/ कार्मिक नाम संशोधित अथवा Delete करवाने बाबत ।

उपर्युक्त विषयानुसार निवेदन है कि मेरे विद्यालय के निम्न कार्मिक / कार्मिको की एम्प्लोयी आई डी / कार्मिक नाम में निम्नानुसार सुधार करवाने का श्रम करे ।

क्रम संख्या	कार्मिक का नाम	कार्मिक की शाला दर्पण पर गलत एम्प्लोयी ID / कार्मिक का गलत नाम	कार्मिक की SIPF पर जारी सही एम्प्लोयी ID / कार्मिक का सही नाम	Joining Date in Present School
1.				
2.				
3.				

"शाला दर्पण पर मेरी संस्था के किसी भी कार्मिक की एम्प्लोयी आई. डी. / कार्मिक नाम में आवश्यक संशोधन अथवा Delete करवाए जाना मेरी स्वयं की जिम्मेदारी पर होगा और भविष्य में इससे उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद और वैधानिक कार्यवाही के लिए मै स्वयं उत्तरदायी / जिम्मेदार रहूँगा / रहूँगी ।"

हस्ताक्षर
(संस्था प्रधान मय सील)

Rajteachers.in